

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर**  
**“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर**

(दूरभाष नं.:— 0141-2740837, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल:— jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक : एफ.4(ई)(एम-204/2013)/अलेसे-III/491

दिनांक :- 12/07/2021

**कार्यालय आदेश**

निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकार को उनके आवेदन के अनुसरण में निम्न परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

| क.सं. | लिंक नं. | नाम क. लेखाकार<br>(श्री/श्रीमती/सुश्री) | नाम परीक्षा                                             | आयोजक संस्था                                                | वर्तमान पदस्थापन कार्यालय          |
|-------|----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1     | 2        | 3                                       | 4                                                       | 5                                                           | 6                                  |
| 1     | 10010    | मदन लाल यादव                            | एम.ए. (अर्थशास्त्र),<br>उत्तरार्द्ध-2021<br>(स्वयंपाठी) | पंडित दीनदयाल<br>उपाध्याय श्रेखावाटी<br>विश्वविद्यालय, सीकर | तहसीलदार, तहसील शाहपुरा,<br>जयपुर। |

उक्त अध्ययन स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

- 1 किसी शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- 2 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 3 परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 4 उक्त स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और अस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 5 उक्त स्वीकृति के कारण राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- 6 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 7 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

उक्त आदेश निदेशक महोदय से अनुमोदित है।

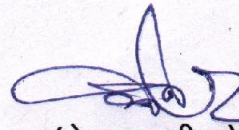
  
(शिल्पी कौशिक)  
अतिरिक्त निदेशक कार्मिक-III)

दिनांक :- 12/07/2021

क्रमांक : एफ.4(ई)(एन-2068/2013)/अलेसे-III/491

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-**

1. संबंधित विभाग/कार्यालय (तालिका के कॉलम 6 के अनुसार)।
2. निजी सचिव, निदेशक।
3. उपनिदेशक (एसपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

  
(लेखराम मीणा)  
उप निदेशक (कार्मिक-III)